जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

क्र. जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2018/1605 दिनांक :- 05.03.2018

प्रति,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष
अध्ययनशाला/शासकीय/अशासकीय/महाविद्यालय,
संबद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः-परीक्षा केन्द्रों में CCTV लगाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित समस्त परीक्षाओं में CCTV का उपयोग किया जाना है तथा इसी के परिपालन में वर्ष 2018 से संपन्न होने वाली समस्त परीक्षाओं में तथा संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर CCTV की निगरानी में ही परीक्षायें संचालित की जाना है साथ ही साथ Ph.D. मौखिक परीक्षा की Video/Audio Recording कराई जाये।

अतः इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जाकर समस्त महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों पर CCTV लगाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय को सूचित करें।

संलग्नः-शासन का पत्र

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

उप-कुलसचिव (परीक्षा)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 226 / 2018 / 38–3 भोपाल, दिनांक / / 03 / 2018

प्रति,

कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय– परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी लगाने बाबत।

––0––

विषयांतर्गत लेख है कि महामहिम राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2018 को खजुराहो में विश्वविद्यालय संबंधी बैठक का आयोजन किया गया। निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित समस्त परीक्षाओं में सीसीटीवी का उपयोग किया जाना है। निर्देश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 2018 से संपन्न होने वाली समस्त परीक्षाओं में तथा संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में ही परीक्षायें संचालित की जायें। साथ ही पीएचडी मौखिकी परीक्षा की वीडियो/आडियो रिकार्डिंग कराई जाये।

कृपया निर्देश का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये , साथ ही की गई कार्यवाही से शासन को अवगत करावे।

1/3/18
(डॉ. डी.पी. सिंह)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठां.क. / 227 / 2018 / 38–3 भोपाल, दिनांक 1 / 03 / 2018

प्रतिलिपि–

1. कुलपति, (समस्त) विश्वविद्यालय म.प्र.।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. अतिरिक्त संचालक (समस्त) उच्च शिक्षा म.प्र. ।
5. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय (समस्त) म.प्र.।
6. प्राचार्य शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय म.प्र.।

की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1/3/18
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग